अपील सूचना अधिकार संख्या 74/2021(GCMS 2021/115) (आरटीआई नं. 212581634947982) श्री राधेश्याम गोयल निवासी 23 के ब्लॉक, श्याम कुटीर, नदजीक टण्डन लेबोरेट्री, श्रीगंगानगर (पोस्टल ऑर्डर नं. 52एफ/509314) बनाम निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम), श्रीगंगानगर

12.04.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 17.06.2021 से सात बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी पर शास्ति अधिरोपित करने, हर्जाना प्रार्थी को दिलवाने एवं वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 17.06.2021 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सात बिन्दुओं की सूचना चाही थी:

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. जांच रिपोर्ट में जांच अधिकारी ने निर्णय दिया है कि बीएलओ तत्कालीन भाग संख्या 80 द्वारा अपनी स्वयं हस्तलिखित कार्य निष्पादन लोकसभा चुनाव 2014 की रिपोर्ट दिनांक 17.06.2014 को स्वीकार किया है कि उसने दिनांक 04.04.2014 से 11.04. 2014 तक घर-घर जाकर मतदाता पर्ची वितरण व निर्वाचन कार्य आदि किया है। इस बाबत सूचना व बीएलओ की कार्य निष्पादन रिपोर्ट दिनांक 17.06.2014 व जांच रिपोर्ट दिनांक 13.07.2016 पत्रांक 584

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:01:48 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

2. जांच रिपोर्ट में अंकित तथ्य कि दिनांक 06.04.2014 को जिला मुख्यालय पर बीएलओ सुभाष गोयल द्वारा उपस्थित रहकर लोकसभा चुनाव ड्यूटी 2014 का कार्य निष्पादन किया है एवं दिनांक 06.04.2014 को ही माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में निजी सिविल याचिका 2755/2014 का शपथ पत्र प्रस्तुत करना,... कमीश्नर से तस्दीक करवाना व एडवोकेट, जोधपुर से पहचान करवाया माना है, इस बाबत शपथ पत्र की प्रमाणित प्रति व तथ्यों की सूचना।
3. जांच रिपोर्ट में दिनांक 06.04.2014 को जिला मुख्यालय पर उपस्थित हो विरोधाभासी माना है इस बाबत सूचना।
4. जांच रिपोर्ट में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) साहब, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 1216 दिनांक 04.08.2014 से श्री कैलाश चन्द्रजी शर्मा ने बीएलओ को दिनांक 05.04.2014 से 11.04.2014 तक लोकसभा चुनाव में श्रीगंगानगर में उपस्थित रहकर चुनाव ड्यूटी में कार्य किया है इस बाबत सूचना व पत्राक 1216 दिनांक 04.08.2014 की प्रमाणित प्रति, इस पर निर्वाचन विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।
5. जांच रिपोर्ट में अंकित तथ्य कि (उप पंजीयक) सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 41 दिनांक 05.08.14 से यह [illegible] किया है कि बीएलओ श्री सुभाष गोयल [illegible] 1.04.2014 तक श्रीगंगानगर उपस्थित रहकर [illegible]व ड्यूटी का कार्य प्रतिदिन गंगानगर में रहकर किया है। इस पर श्रीमान् द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:01:48 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

6. जांच रिपोर्ट में दिनांक 06.04.2014 को जोधपुर उपस्थित दिखाना व मुख्यालय पर उपस्थित बीएलओ द्वारा दिखाने से विरोधाभासी प्रतीत होती है। इस विषय पर विभाग द्वारा बीएलओ के विरूद्ध की गई कार्यवाही की सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।
7. जांच रिपोर्ट के निष्कर्ष विरोधाभासी तथ्य पर बैंक प्रशासन, श्रीगंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक , जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) व सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (उप पंजीयक) द्वारा विभागीय अनुशासनात्मक व निर्वाचन नियमों के अन्तर्गत की र्ग कार्यवाही की सूचना व प्रमाणित प्रति।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक आरटीआई/2021/1756 दिनांक 02.09.2021 की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित की है तथा मूल पत्र अपीलार्थी को भिजवाया गया है, जिसमें अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचित किया गया है:

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
1	जांच रिपोर्ट में जांच अधिकारी ने निर्णय दिया है कि बीएलओ तत्कालीन भाग संख्या 80 द्वारा अपनी स्वयं हस्तलिखित कार्य निष्पादन लोकसभा चुनाव [illegible] की रिपोर्ट दिनांक 17.06.2014 को स्वीकार किया है कि उसने दिनांक 04.04.2014 से 11.04.2014 तक घर–घर जाकर मतदाता	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:01:48 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

			पर्ची वितरण व निर्वाचन कार्य आदि किया है। इस बाबत सूचना व बीएलओ की कार्य निष्पादन रिपोर्ट दिनांक 17.06.2014 व जांच रिपोर्ट दिनांक 13.07.2016 पत्रांक 584	है जो निश्चित अभिलेखों में उपलब्ध हो व प्रश्नात्मक न हो। सूचना के रूप में	
		2	जांच रिपोर्ट में अंकित तथ्य कि दिनांक 06.04.2014 को जिला मुख्यालय पर बीएलओ सुभाष गोयल द्वारा उपस्थित रहकर लोकसभा चुनाव ड्यूटी 2014 का कार्य निष्पादन किया है एवं दिनांक 06.04.2014 को ही माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में निजी सिविल याचिका 2755/2014 का शपथ पत्र प्रस्तुत करना,... कमीश्नर से तस्दीक करवाना व एडवोकेट, जोधपुर से पहचान करवाया माना है, इस बाबत शपथ पत्र की प्रमाणित प्रति व तथ्यों की सूचना।	प्रत्यर्थी न तो कोई नही सूचना बना सकते है और न ही स्वयं का मत दे सकते है। सूचना कार्यालय के कार्य संसाधन को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत	
		3	जांच रिपोर्ट में दिनांक 06.04.2014 को जिला मुख्यालय पर उपस्थित हो विरोधाभाषी माना है इस बाबत सूचना।	नहीं होनी चाहिए। सूचना के अधिकार	
		4	जांच रिपोर्ट में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) साहब, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 1216 दिनांक 04.0[illegible]2014 से श्री कैलाश [illegible] की दिनांक 05.04.2014 से 11.04.2[illegible]4 तक लोकसभा चुनाव में श्रीगंगानगर में उपस्थित	अधिनियम 2005 की धारा 7(9) के प्रावधान अंतर्गत सूचना की आपूर्ति से लोक प्राधिकारी के	

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:01:48 IST
Reason: SelfAttested

			रहकर चुनाव ड्यूटी में कार्य किया है इस बाबत सूचना व पत्राक 1216 दिनांक 04.08.2014 की प्रमाणित प्रति, इस पर निर्वाचन विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।	संसाधनों का अनपेक्षित ढंग से विचलन नहीं होना चाहिए। सामग्री में से	
		5	जांच रिपोर्ट में अंकित तथ्य कि (उप पंजीयक) सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 41 दिनांक 05.08.14 से यह स्वीकार किया है कि बीएलओ श्री सुभाष गोयल ने दिनांक 05.04.2014 से 11.04.2014 तक श्रीगंगानगर उपस्थित रहकर चुनाव ड्यूटी का कार्य प्रतिदिन गंगानगर में रहकर किया है। इस पर श्रीमान् द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।	कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजे गए तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नहीं है। अतः यदि आप सूचनाओं संबंधी	
		6	जांच रिपोर्ट में दिनांक 06.04.2014 को जोधपुर उपस्थित दिखाना व मुख्यालय पर उपस्थित बीएलओ द्वारा दिखाने से विरोधाभावी प्रतीत होती है। इस विषय पर विभाग द्वारा बीएलओ के विरूद्ध की गई कार्यवाही की सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।	किसी अभिलेख का निरीक्षण करना चाहे तो नियमानुसार कार्यदिवस को कार्यालय समय में उपस्थित	
		7	जांच रिपोर्ट के निष्कर्ष [illegible] तथ्य पर बैंक प्रशासन, श्रीगंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक , जिला निर्वाचन अधिकारी,	होकर निरीक्षण कर सकते है व वांछित	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:01:48 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

		श्रीगंगानगर व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) व सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (उप पंजीयक) द्वारा विभागीय अनुशासनात्मक व निर्वाचन नियमों के अन्तर्गत की गर्इ कार्यवाही की सूचना व प्रमाणित प्रति।	प्रतिलिपियां प्राप्त कर सकते है।

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगांगनगर ने अपने उक्तानुसार अपीलार्थी को जवाब प्रेषित किया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए**। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। **सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त ''सूचना'' का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी [illegible] के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के [illegible] व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। **इस** [illegible] **अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी**, श्रीगांगनगर **द्वारा अपीलार्थी को जो उत्तर दिया गया है, वह सही है जिसमें किसी प्रकार के** हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। फिर भी लोक सूचना

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:01:48 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम), श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी को उसकी वांछित सूचनाओं के सम्बन्ध में कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन करवा देवें और उसके द्वारा चिन्हित सूचनाओं को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानुसार उपलब्ध करवा देवें।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति **लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी(एसडीएम)**, श्रीगांगनगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 12.04.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:01:48 IST
Reason: SelfAttested